

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिप्यणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

3

मो० अलाउद्दीन हवारी पिता स्व० अब्दुल अजीज, निवास स्थान जामा मरिजद रोड, थाना-सदर, पोस्ट-हजारीबाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-खिरगाँव, थाना नं०-145, खाता संख्या-103 प्लॉट संख्या-1370/1959, रकबा-0.0275 एकड़ एवं खाता संख्या-16, प्लॉट संख्या-1370/1961, रकबा 0.0125 एकड़ कुल रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि इमरान कुरैशी पिता इब्राहिम कुरैशी, निवास स्थान कुरैशी मुहल्ला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSO32026224 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-592/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3258/रा० दिनांक 01.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 225 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

केता कशाब जाति एवं विक्रेता धोबी जाति के हैं एवं अ०पि०व० के अन्तर्गत हैं। हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किरम रैयत है। खाता संख्या-103 के खतियानी रैयत वजीर गोप वगैरह, खाता संख्या-16 के खतियानी रैयत मो० कोइली कझरीन हैं। खतियान के अनुसार खाता संख्या-16 अन्तर्गत रकबा 2.57 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 0.04 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-53/XX पर अलाउद्दीन हवारी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकबा 0.04 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकबा 0.04 एकड़ भूमि के अलावे मौजा-मंडईकला के खाता संख्या-52 में रकबा 0.0525 एकड़ भूमि बचती है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही B.I.R

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आवेदक का पता
1	2	


Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में भो० अलाउद्दीन हवारी पिता एच० अब्दुल अजीज, निवास स्थान जामा मस्जिद रोड़, थाना-सदर, पोरह-हजारीबाग, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, गौजा-खिरगाँव, थाना नं०-145, खाता संख्या-103 प्लॉट संख्या-1370/1959, रकबा-0.0275 एकड़ एवं खाता संख्या-16, प्लॉट संख्या-1370/1961, रकबा 0.0125 एकड़ कुल रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि इमरान कुरैशी पिता इब्राहिम कुरैशी, निवास स्थान कुरैशी मुहल्ला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अपर समाहर्ता, हजारीबाग।



अपर समाहर्ता, हजारीबाग।